छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक 1255/F-2019—04—05142/वित्त/स्था/चार नवा रायपुर,अटल नगर, दिनांक 03.10.2019

::आदेश:::
——00——

यह स्थानांतरण आदेश माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ के समक्ष प्रस्तुत याचिका क्रमांक 7063/2019 में पारित आदेश दिनाक 09.09.2019 के अधोलिखित अंश के अनुक्रम में संबंधित पक्षों के परिवाद (Grievance) के निराकरण हेतु जारी किया जा रहा है।

"Respondents/State would be at liberty to take appropriate steps redressing grievance of either of the parties till the next date of hearing."

प्रकरण की पृष्ठभूमि इस प्रकार है:—

1. वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर के आदेश क्रमांक 1102/एफ 2019—04—05077/स्था./चार, दिनांक 23.08.2019 के क्रमांक 40 पर श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त संचालक, कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, बिलासपुर को वित्त अधिकारी, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर तथा क्रमांक 41 पर श्री भावेश कुमार दुबे, वित्त अधिकारी, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर को संयुक्त संचालक, कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, बिलासपुर के पद पर स्थानांतरित किया गया था।

2. श्री राजेश श्रीवास्तव, संयुक्त संचालक द्वारा उक्त आदेश दिनांक 23.08.2019 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ के समक्ष याचिका क्रमांक 7063/2019 प्रस्तुत किया गया। जिसमें दिनांक 09.09.2019 को निम्नानुसार आदेश पारित किया गया :—

"Meanwhile, the effect and operation of the impugned order shell remain stayed so far as petitioner is concerned.

Counsel for the respondent No.3 submits that he has also given his joining. Respondents/State would be at liberty to take appropriate steps redressing grievance of either of the parties till the next date of hearing."

3. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में उभयपक्षों के Grievance के निराकरण हेतु दोनों पक्षों को लिखित अभ्यावेदन सहित व्यक्तिगत सुनवाई के लिये आहूत किया गया।

4. नियत तिथि दिनांक 28.09.2019 को श्री भावेश दूबे द्वारा उपस्थित होकर लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखा गया।

5. नियत तिथि पर श्री राजेश श्रीवास्तव उपस्थित नहीं हुए तथा उनके द्वारा आवेदन भेजकर सुनवाई हेतु आगामी तिथि देने का अनुरोध किया गया। उनके आवेदन पर विचार करते हुए श्री श्रीवास्तव को सुनवाई का एक और अवसर देते हुए यह भी सूचित किया गया कि आगामी तिथि पर सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं होने पर उनके द्वारा दायर याचिका क्रमांक 7063/2019 में दर्शित तथ्यों को ही अभ्यावेदन मान्य करते हुए प्रकरण निराकरण की कार्यवाही की जायेगी। यह सूचना पत्र श्री श्रीवास्तव को ई–मेल से भेजा गया।

6. श्री श्रीवास्तव द्वितीय सुनवाई तिथि दिनांक 01.10.2019 को भी व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए। अतः याचिका में दर्शित Grievance के आधार पर प्रकरण निराकरण किया जा रहा है। याचिका में दर्शित Grievance के तथ्य निम्नानुसार है :–

(1) बिलासपुर विश्वविद्यालय में स्वीकृत लेखाधिकारी का पद प्रतिनियुक्ति का पद है।

(2) पूर्व में वर्ष 2013 में लेखाधिकारी बिलासपुर विश्वविद्यालय के पद पर पदस्थापना के लिये उनके द्वारा प्रतिनियुक्ति पर जाने की सहमति दी गई थी।

(3) वर्ष 2017 से वित्त विभाग के अधीन संभागीय संयुक्त संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन, बिलासपुर के पद पर पदस्थ है। इस प्रकार वित्त विभाग के कर्मचारी है।

(4) विश्वविद्यालय का पद प्रतिनियुक्ति का पद है, जिस पर जाने की सहमति उनके द्वारा नहीं दी गई है।

(5) प्रतिनियुक्ति के पद पर कर्मचारी की सहमति के बिना पदस्थापना नहीं की जा सकती है।

7. तथ्यात्मक स्थिति यह है कि वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 13.04.2017 से प्रकाशित राज्य वित्त सेवा संवर्ग हेतु चिन्हांकित पदों के प्रवर श्रेणी वेतनमान में क्रमांक 36 पर वित्त अधिकारी बिलासपुर विश्वविद्यालय का पद सम्मिलित है। इस प्रकार यह पद राज्य वित्त सेवा का संवर्गीय पद है।

8. फिर भी, चूंकि श्री राजेश श्रीवास्तव 29.10.2013 से 11.08.2017 तक वित्त अधिकारी बिलासपुर विश्वविद्यालय के पद पर पदस्थ रह चुके हैं तथा 12.08.2017 से 15.06.2018 तक इस पद का अतिरिक्त प्रभार के रूप में भी कार्य कर चुके हैं इसलिये इन्हें पुनः बिलासपुर विश्वविद्यालय में पदस्थ करने के बजाय विभाग में ही अन्य पद पद रखने पर विचार किया गया।

9. यह भी नोटिस किया गया कि श्री श्रीवास्तव संभागीय संयुक्त संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन, बिलासपुर के पद पर 31.07.2017 से 11.08.2017 तक अतिरिक्त प्रभार में एवं 12.08.2017 से अब तक पूर्ण प्रभार में पदस्थ हैं। इस प्रकार दो वर्ष से अधिक का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है।

अतएव दोनों पक्षों के Grievance के निराकरण की दृष्टि से राज्य शासन एतद द्वारा श्री राजेश श्रीवास्तव को संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, बिलासपुर के पद से स्थानांतरित करते हुए कार्यालय, संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर में पदस्थ करता है।

इस आदेश का क्रियान्वयन होने से न्यायालय आदेश दिनांक 09.09.2019 के अनुरूप द्वितीय पक्ष श्री भावेश दूबे के परिवाद का भी निराकरण हो जायेगा। यह आदेश राज्य शासन के सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत जारी किया जा रहा है।

3/10
(शारदा वर्मा)
संयुक्त सचिव
वित्त विभाग

पृ.क्र. 1256/F-2019-04-05142/वित्त/स्था/चार नवा रायपुर,अटल नगर, दिनांक 03.10.2019

प्रतिलिपिः–

1. माननीय राज्यपाल के सचिव, राजभवन सचिवालय, रायपुर।
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय।
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, महानदी भवन, मंत्रालय।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय।
5. महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर।
6. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर ।
7. कुल सचिव, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
8. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, बिलासपुर।
9. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, बिलासपुर/रायपुर।
10. संबंधित अधिकारी ....की ओर पालनार्थ
11. आदेश फोल्डर हेतु

—————————की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

3/10
(प्रेमा गुलाब एक्का)
अवर सचिव
वित्त विभाग